

# कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

(विविध आदेश)

क्रमांक— 59 / (एक-दो-1) 07

सागर, दिनांक 25.05.2026

इस कार्यालय के द्वारा दिनांक—28.05.2026 से दिनांक—10.06.2026 तक सत्र न्यायाधीश, सागर के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहने की अवधि के दौरान नियमित जमानत आवेदन पत्रों एवं अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई के संबंध में निम्नानुसार आदेश जमानत आवेदन पत्रों के संबंध में जारी किया जाता है :—

| क. | न्यायालय का नाम                      | अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत होंगे:—<br>28.05.2026 को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि० व अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>29.05.2026 को विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि० व अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>30.05.2026 को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>01.06.2026 को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>02.06.2026 को नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सागर<br>03.06.2026 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>04.06.2026 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>05.06.2026 को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>08.06.2026 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>09.06.2026 को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर<br>10.06.2026 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर |

1. प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन उक्त आदेश में वर्णित प्रथम प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित की गई समझे जावेंगे, परन्तु यदि कोई पश्चातवर्ती द्वितीय या तृतीय नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत होता है तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के न्यायालय में जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया है, स्वमेव अंतरित माना जावेगा और उन्हीं के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा।

2. यदि एक ही अपराध में किसी अन्य आरोपी का पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र या नियमित जमानत आवेदन पत्र किसी न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जा चुका है, वहां पर उसी अपराध से संबंधित किसी अन्य सहआरोपी का नियमित जमानत आवेदन पत्र अथवा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के समक्ष स्वतः अंतरित माना जावेगा और ऐसे आवेदन की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश के द्वारा की जाकर आवेदन का निराकरण किया जावेगा जिन्होंने पूर्व में अपराध के अन्य आरोपी के जमानत आवेदन का निराकरण किया है, किन्तु यदि मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर सत्र प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका हो वहां सत्र प्रकरण के लंबित रहने के दौरान सहआरोपी का अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जायेगा जिनके यहां सत्र प्रकरण लंबित है।

3. उपरोक्त वर्णित प्रथम न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में द्वितीय न्यायिक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होंगे और उनके न्यायालय में अंतरित समझे जावेंगे और उन्हीं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत किये जावेंगे।

4. सभी प्रभारी न्यायिक अधिकारीगण के भी अवकाश पर होने की दशा में प्रथमतः विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय में तथा उनके अवकाश पर होने की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई की जावेगी।

5. उपरोक्त आदेश केवल सत्र न्यायाधीश सागर के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में ही प्रभावी रहेगा उसके उपरांत पूर्व प्रभार आदेश क्रमांक 36 दिनांक 20.04.2026 प्रभावी माना जावेगा।

  
(महेश कुमार शर्मा)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

3156  
पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07  
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 25.05.2026

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. ऑब्जेक्शन क्लर्क सागर।
3. निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर  
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)  
25-05-2026